

आदेश

राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा), के अन्तर्गत निम्नवत 21 अस्थाई पदों की अवधि विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.06.2021 एवं संशोधित आदेश दिनांक 28.06.2021 एवं 17.12.2021 (वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी संख्या 102000163 दिनांक 31.03.2021 तथा आई.डी संख्या 102105606 दिनांक 08.12.2021) में अंकित शर्तों के अधधीन दिनांक 28.02.2023 तक वृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है:-

S.No.	Post	Sanctioned Posts	Pay-Matrix
1.	2.	3.	4.
1.	Chairman	1	रेरा एक्ट एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तें
2.	Member	2	रेरा एक्ट एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तें
3.	Adjudicating Officer	1	RHJS Scale
4.	Registrar	1	L-19
5.	Joint Registrar (Project)	1	L-19
6.	Deputy Registrar (Complaint/Court)	1	L-16
7.	Private Secretary	3	L-15/16
8.	Law Officer	1	L-12
9.	Enforcement Officer	1	L-12
10.	Prosecutor	1	L-12
11.	Assistant Accounts Officer-i/ii	1	L-11/12
12.	Stenographer	2	L-11
13.	Information Assistant/ Technical Assistant	2	L-09
14.	Junior Assistant	1	L-05
15.	Junior Draftman/CAD Operator	1	L-05
16.	Driver	1	L-05
	<b>Total</b>	<b>21</b>	

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी.संख्या 102203326 दिनांक 09.06.2022 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष राजस्थान रीयल एस्टेट, रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा), जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी संख्या 102203326 दिनांक 09.06.2022 के क्रम में।
6. वरि. उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर उपलोड किये जाने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय